राजस्थान सरकार

न्यायालय एकल माध्यस्थ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना

जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

आर्बिट्रेशन प्रार्थना–पत्र सं. 11/2023

प्रार्थी– **बनाम** **अप्रार्थीगण–**

प्रार्थी–
1. श्रीमति गीता पत्नी दीपक भाई
2. श्रीमति सोरभ कंवर पत्नी उम्मेदसिंह जातियान राजपुरोहित, निवासीयान भिण्डा कुआ, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

अप्रार्थीगण–
1. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा।
2. श्रीमान परियोजना निर्देशक एवं अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. राष्ट्रीय उच्च मार्ग वृत जोधपुर।

माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध बालोतरा–साण्डेराव–जालोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 21/700 से 24/350 तक सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के अवार्ड आदेश क्रमांक 240 दिनांक 08.07.2021 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री छत्रकरण भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री लादूराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अप्रार्थी संख्या 1 भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी अवार्ड के विरूद्ध दिनांक 08.07.2021 को न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर 21.12.2022 एवं दिनांक 11.12.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा–साझडेराव–जालोर परियोजना के राष्ट्रीय

जिला कलक्टर
बालोतरा

राजमार्ग संख्या 325 के 21 / 700 से किमी 24 / 350 तक के निर्माण (चौड़करण / पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने / चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा की तहसील पचपदरा के गांवों (ब्रह्मधाम व आसोसरा) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु अधिसूचना दिनांक 10.01.2017 को जारी कर उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 3255 / 3246 रकबा 1 बीघा मौजा आसोतरा में अवस्थित है। उक्त खसरा का अवार्ड भूमि आवाप्ति अधिकारी, बालोतरा द्वारा प्रार्थी को जारी न कर उक्त खसरान के पूर्व खातेदार के नाम आलोच्य अवार्ड दिनांक 08.07.2021 को पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य अवार्ड में संशोधन करते हुए स्वयं प्रार्थी के नाम पारित करते हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया एवं प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में प्रकट किया कि मौजा आसोतरा के खसरा संख्या 3255 / 3246 रकबा 01.00 बीघा भूमि तहसीलदार पचपदरा के आदेश क्रमांक / राजस्व / 2013 / 142 दिनांक 10.01.2014 से संपरिवर्तन कर किस्म बा.अ. से गै.मु. आवासीय की गई। नामान्तरण संख्या 2954 दिनांक 16.05.2017 अनुसार उक्त भूमि का बेचान पदमाराम पुत्र मालाराम जाति भील द्वारा गीता पत्नी दीपक भाई जाति पुरोहित साकित भिण्डाकुआ तथा सोरभकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति पुरोहित साकित जसोल के नाम दर्ज किया गया। वक्त सेग्रीगेशन एवं रेकर्ड ऑनलाईन के समय त्रुटिवश गीता व सोरभकंवर के स्थान पदमाराम पुत्र मालाराम दर्ज हो गया। जरिये शुद्धि पत्र संख्या 07 व 16 द्वारा पुत्र वर्तमान खातेदार में सौरभकंवर व गीता के नाज दर्ज है। मौजा आसोतारा के खसरा नम्बर 3255 / 3246 रकबा 1 बीघा किस्म गैर मुमकिन आवासीय के वर्तमान खातेदार गीता पत्नी दीपकभाई को हिस्सा 1 / 2 एवं सोरभकंवर पत्नी उम्मेदसिंह को 1 / 2 हिस्सा अवाप्त भूमि का मुआवजा नियमानुसार दिया जाना उचित है। खसरा संख्या 3255 / 3246 मौजा आसोतरा के भूमि अवाप्ति के समय जारी 3ए नोटिफिकेशन 1167 दिनांक 15 मार्च 2018 व 3डी नोटिफिकेशन 5209 दिनांक 09 अक्टूबर 2018 में उक्त खसरा के खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम कौम भील के नाम से जारी हुआ था व 3 जी अवार्ड आदेश 240 दिनांक 08.07.2021 में खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम कौम भील के नाम से ही अवार्ड पारित हुआ था।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में प्रकट किया कि भूमि अवाप्ति प्रकिया के नोटिस के समय हल्का पटवारी के द्वारा जो राजस्व रिकार्ड भूमि अवाप्ति हेतु उपलब्ध करवाया गया, उसी का उल्लेख करते हुए अधिग्रहण हेतु दिनांक 09.10.2018 को अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था। धारा 3क(1) के अनुसार अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के 21 दिन के भीतर हितबद्ध समस्त व्यक्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अभिकथन पेश नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों द्वारा संधारित राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम कौम भील, निवासी आसोतरा के नाम अवाप्ति आदेश जारी किया गया था। इसमें अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी और न ही किसी प्रकार की मानवीय भूल की गयी है। प्रार्थीगण की स्वयं की गलती से यदि मुआवजा से वंचित रहता है, तो उसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 जिम्मेदार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को जिन–जिन हितबद्ध व्यक्तियों के नाम आवार्ड जारी कर भुगतान हेतु पत्र लिखा जाता है, उसकी पालना में अवार्ड की राशि नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में भिजवाने की कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व खातेदार पदमाराम आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योगय है।

6. अधिवक्ता प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 3255 / 3246 रकबा 1 बीघा मौजा आसोतरा में अवस्थित है। उक्त खसरान नंबर की भूमि पुर्व में खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम कौम भील के नाम से थी। मौजा आसोतरा के उक्त खसरान की भूमि तहसीलदार पचपदरा के आदेश कमांक / राजस्व / 2013 / 142 दिनांक 10.01.2014 से संपरिवर्तन कर किस्म बा.अ. से गै.मु. आवासीय की गई। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पदमाराम पुत्र मालाराम से जरिये बैचान 12.01.2015 को उप पंजीयक जसोल में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 142 में पृष्ट संख्या 186 कम संख्या 2015000101 पर पंजीबद्ध कर खरीद की गई थी। नामान्तरण संख्या 2954 दिनांक 16.05.2017 अनुसार उक्त भूमि का बेचान पदमाराम पुत्र मालाराम जाति भील द्वारा गीता पत्नी दीपक भाई जाति पुरोहित साकित भिण्डाकुआ तथा सोरभकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति पुरोहित साकित जसोल के नाम दर्ज किया गया। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग

जिला कलक्टर
बालोतरा

मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा–साण्डेराव–जालोर परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 21/700 से किमी 24/350 तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) में तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा की तहसील पचपदरा के गांवों (ब्रह्मधाम व आसोतरा) से संबंधित विनिर्दिष्ट भूखण्ड उक्त अधिनियम के तहत अवाप्त करने हेतु 3ए की अधिसूचना 1167 दिनांक 15.03.2018 व 3डी की अधिसूचना दिनांक 5209 दिनांक 09.10.2018 को उक्त खसरे की भूमि अवाप्त की प्रकिया प्रारम्भ की गई। राजस्व अधिकारियों ने पूर्व में संधारित राजस्व रिकॉर्ड के आधार पूर्व खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम कौम भील निवासी आसोतरा के नाम से ही अवाप्ति आदेश जारी कर दिया गया, जबकि उक्त दिनांक तक प्रार्थीगण सख्या खसरा नं 3255/3246 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार थे एवं राजस्व अधिकारियों को प्रार्थीगण का नाम ही नोटिफीकेशन में दर्ज करना था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य अवार्ड प्रार्थीगण के नाम जारी न करके उक्त खसरे के पूर्व खातेदार पदमाराम भील के नाम जारी कर दिया गया। प्रार्थीगण का नाम नोटिफीकेशन में नाम नहीं होने के कारण तत्समय आपति नहीं कर पाया। साथ ही पूर्व विकता(खातेदार) पदमाराम ने भी आपति पेश नहीं की, क्योंकि पदमाराम ने उक्त भूमि प्रार्थीगण को बेच चुका था। उक्त खसरे की अवाप्ति की राशि वर्तमान में भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के खाते में जमा है। प्रार्थीगण को उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने लिखित प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा ने अवगत कराया कि आपका नाम सीधे तौर पर पूर्व खातेदार का नाम हटाकर अंकित नहीं हो सकता। यदि आप श्रीमान जिला कलक्टर के समक्ष आवेदन पेश कर उक्त प्रकरण को मध्यस्था हेतु आदेशित करवाते है, तो पूर्व खातेदार पदमाराम का नाम संशोधन कर आपका नाम दर्ज कर आपको अवाप्ति मुआवजा देने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। मौजा आसोतरा के खसरा नंबर 3255/3246 रकबा 1 बीघा किस्म गैर मुमकिन आवासीय भूमि के आवाप्ति प्रकिया के समय व वक्त अधिसूचना 3ए एंव 3डी प्रार्थीगण उक्त खसरा के खातेदार थे एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण से ही कब्जा लेकर उस पर राज मार्ग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रार्थीगण हितग्राही होने के पश्चात भी प्रार्थीगण को नियमानुसार मुआवजा प्रदान नहीं किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी, बालोतरा द्वारा पूर्व खातेदार पदमाराम के नाम पारित अवार्ड दिनांक 08.07.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 3255/3246 मौजा आसोतरा, तहसील पचपदरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

का ब्याज सहित मुआवजा प्रार्थीगण के नाम पारित करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, बालोतरा को निर्देश फरमाया जावे।

7. हमने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा–साझडेराव–जालोर परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 के 21/700 से किमी 24/350 तक के निर्माण (चौड़करण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चार लेन का बनाने, आदि) हेतु प्रार्थीगण की खरीदशुदा व कब्जे की भूमि मौजा आसोतरा के खसरा संख्या 3255/3246 रकबा 1 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी। उक्त खसरान की भूमि अवाप्त हेतु 3ए की अधिसूचना 1167 दिनांक 15.03.2018 व 3डी की अधिसूचना दिनांक 5209 दिनांक 09.10.2018 को जारी हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की मुख्य आपति यह है कि उक्त आलोच्य अवार्ड पदमाराम के नाम जारी अवार्ड को निरस्तर कर उक्त खसरान के खरीदशुदा खातेदार प्रार्थीगण के नाम संशोधित ब्याज सहित अवार्ड पारित किया जाए। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त खसरान के भूमि आलोच्य अवार्ड पूर्व खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम कौम भील, निवासी आसोतरा के नाम भूमि अवाप्ति अधिकारी, बालोतरा द्वारा पारित किया गया, लेकिन जब आलोच्य भूमि की अवाप्ति हेतु 3ए की अधिसूचना 1167 दिनांक 15.03.2018 व 3डी की अधिसूचना दिनांक 5209 दिनांक 09.10.2018 को जारी हुई, तब उक्त खसरान अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण द्वारा पदमाराम पुत्र मालाराम से जरिये बैचान 12.01.2015 को उप पंजीयक जसोल में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 142 में पृष्ट संख्या 186 क्रम संख्या 2015000101 पर पंजीबद्ध कर खरीद की गई थी और नामान्तरण संख्या 2954 दिनांक 16.05.2017 अनुसार उक्त भूमि का बेचान पदमाराम पुत्र मालाराम जाति भील द्वारा गीता पत्नी दीपक भाई जाति पुरोहित साकित भिण्डाकुआ तथा सोरभकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति पुरोहित निवासी जसोल के नाम दर्ज हो रखा था। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से तलब किया गया मूल अभिलेख अवलोकन करने पाया कि मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 08.07.2021 को खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम के नाम पारित होना बताया गया, जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी से तलब किया जवाब में कथन किया कि मौजा आसोतरा के खसरा संख्या 3255/3246 रकबा 01.00 बीघा भूमि तहसीलदार पचपदरा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/142 दिनांक 10.01.2014 से संपरिवर्तन कर किस्म बा.अ. से गै.मु.

जिला कलक्टर
बालोतरा

आवासीय की गई। नामान्तरण संख्या 2954 दिनांक 16.05.2017 अनुसार उक्त भूमि का बेचान पदमाराम पुत्र मालाराम जाति भील द्वारा गीता पत्नी दीपक भाई जाति पुरोहित साकित भिण्डाकुआ तथा सोरभकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति पुरोहित साकित जसोल के नाम दर्ज किया गया। वक्त सेग्रीगेशन एवं रेकर्ड ऑनलाईन के समय त्रुटिवश गीता व सोरभकंवर के स्थान पदमाराम पुत्र मालाराम दर्ज हो गया। जरिये शुद्धि पत्र संख्या 07 व 16 द्वारा वर्तमान खातेदार में सौरभकंवर व गीता के नाज दर्ज है। खसरा संख्या 3255/3246 मौजा आसोतरा के भूमि अवाप्ति के समय जारी 3ए नोटिफिकेशन 1167 दिनांक 15 मार्च 2018 व 3डी नोटिफिकेशन 5209 दिनांक 09 अक्टूबर 2018 में उक्त खसरा के खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम कौम भील के नाम से जारी हुआ था व 3 जी अवार्ड आदेश 240 दिनांक 08.07. 2021 में खातेदार पदमाराम पुत्र मालाराम कौम भील के नाम से ही अवार्ड पारित होना बताया गया एवं जवाब में सलग्न खतौनी में खसरा नंबर 3255/3246 के खातेदार प्रार्थीगण होना बताया गया। साथ ही पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त खसरान अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थीगण द्वारा पदमाराम पुत्र मालाराम से जरिये बैचान 12.01.2015 को उप पंजीयक जसोल में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 142 में पृष्ट संख्या 186 कम संख्या 2015000101 पर पंजीबद्ध कर खरीद की गई थी और नामान्तरण संख्या 2954 दिनांक 16.05.2017 अनुसार उक्त भूमि का बेचान पदमाराम पुत्र मालाराम जाति भील द्वारा गीता पत्नी दीपक भाई तथा सोरभकंवर पत्नी उम्मेदसिंह के नाम दर्ज होना पाया गया एवं आलोच्य भूमि की अवाप्ति हेतु 3ए की अधिसूचना 1167 दिनांक 15.03.2018 व 3डी की अधिसूचना दिनांक 5209 दिनांक 09.10.2018 को जारी होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जब उक्त खसरा की भूमि अवाप्त की गई थी तब प्रार्थीगण ही उक्त भूमि खातेदार थे एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बालोतरा द्वारा आलोच्य अवार्ड दिनांक 08.07.2021 को पदमाराम के नाम पारित किया गया वो नियमानुसार प्रार्थीगण के नाम जारी होना चाहिए था। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी, बालोतरा द्वारा उक्त आलोच्य अवार्ड पदमाराम के नाम पारित होने से प्रकरण को रिमाण्ड कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रार्थीगण के नाम पुनः अवार्ड पारित होना न्यायोचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौजा आसोतरा के खसरा नंबर 3255 / 3245 के वास्तविक खातेदार का पता करते हुए अपने स्तर पर पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर ब्याज सहित प्रार्थीगण के नाम पुनः अवार्ड पारित करना सुनिश्चत करें। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे एवं आदेश की प्रति मूल खातेदार पदमाराम को भी भिजवाई जाएं। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर
एकल माध्यस्थ
बालोतरा
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना
जिला कलक्टर, बालोतरा।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा